न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या 62/2007

बृजमोहन पुत्र प्रताप जाति मीणा निवासी रकसपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारा

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर0 एल0 आर0 एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांक : 14.06.2007

निर्णय दिनांक : 13.08.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा सुनाये गये निर्णय दिनांक 27.03.2012 से अप्रसन्न होकर प्रार्थी द्वारा भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा में दिनांक 10.07.2012 को प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 121/2012/अपील/एल0आर0एक्ट/बारां मे दिनांक 21.11.2012 को निर्णय पारित किया जिसकी प्रति शामिल फाईल है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा द्वारा सुनाये गये निर्णय अनुसार अपील संख्या 121/2012/अपील/एल0आर0एक्ट/बारां, आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 68/2007 व उनवान बृजमोहन बनाम राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल म पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाक 27.03.2012 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है, कि निर्णय में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में राजस्व अभिलेख जमाबंदी (सेटलमेंट से पूर्व एवं सेटलमेंट के बाद), नक्शा ट्रेस तथा मिलान क्षेत्रफल से रकबा बरारी करते हुये प्रकरण में समीपवर्ती प्रभावित खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.07.2008 एवं 20.06.2011 में उल्लेखित तथ्यों में परस्पर विरोधाभास होने की पुष्टि होती है।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा द्वारा सुनाये गये निर्णय पालना में पत्रावली दिनांक 02.04.213 को पुनः नम्बर पर ली गयी। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य

[illegible] है से प्रकरण के संदर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड [illegible] का पैरोकार है ने अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2018/18 दिनांक 13.06.2018 से [illegible] रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि प्रकरण [illegible] में जो जांच रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2008/2316 दिनांक 21.07.2008 व जांच रिपोर्ट [illegible] 16.06.2011 को प्रस्तुत की है उक्त दोनो जांच रिपोर्ट में से दिनांक 16.06.2011 की जांच रिपोर्ट के [illegible] की पुष्टि की है। उक्त दोनो जांच रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2008/2316 दिनांक 21.07.2008 व [illegible] दिनांक 16.06.2011 शामिल पत्रावली है। तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 16.06.2011 के अनुसार ग्राम रकसपुरिया की आराजी साबिक खसरा नं0 122 रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा भूमि जमाबंदी सं0 2037–39 में खाता संख्या 36 में भंवरलाल प्रताप पुत्र शंकर व गेन्दी बेवा शंकर के नाम खाता दर्ज है बाद सेटलमेंट उक्त साबिक खसरा नम्बर के नवीन खसरा नं0 114 रकबा 4.31 है0 भूमि बृजमोहन पुत्र रामप्रताप जाति मीना सा0 देह के खाते दर्ज है इस प्रकार गत के मुकाबल 0.41 है0 भूमि की कमी पाई मुताबिक नक्शे को छोटा बनाकर रकबे में कमी की है। समीपवर्ती साबिक खसरा नं0 123 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 113 रकबा 3.31 है0 व खसरा नं0 113/441 रकबा 1.66 है0 दर्ज कर क्रमशः 0.06, 0.03 कुल 0.09 है0 बेशी, साबिक खसरा नम्बर 124 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 150 रकबा 1.18 है0 दर्ज कर 0.09 है0 बेशी, इसी प्रकार साबिक खसरा नं0 128 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व 129 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 112 रकबा 2.60 है0 दर्ज कर 0.33 है0 बेशी कर दिया है अतः नवीन खसरा नं0 113 रकबा 3.31 है0 में से 0.06, खसरा नं0 113/441 में से 0.03 है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.18 है0 में से 0.09 है0 तथा 112 रकबा 2.60 है0 में से 0.23 है0 रकबा कम करके ही खसरा नं0 114 का रकबा पूर्वानुसार 4.72 है0 दर्ज किया जा सकता है। उक्त खसरा नम्बर निम्नानुसार रेकार्ड खाते दर्ज है:–

खसरा नं0 113 रकबा 3.31 है0, बजृमोहन पुत्र रामप्रताप मीना सा0देह

खसरा नं0 113/441 रकबा 1.66 है0, गंगाधर पुत्र रामप्रताप मीना सा0देह

खसरा नं0 150 रकबा 1.18 है0, मूलचंद पुत्र प्रभूलाल मीना सा0 महुवा

खसरा नं0 112 रकबा 2.60 है0 छीतरलाल, प्रहलाद रामबिलास पुत्रान बल्देव पुत्र व [illegible] बल्देव छीत्या पुत्री बल्देव मीना सा0देह के खाते दर्ज रेकार्ड है।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की ग्राम रकसपुरिया की आराजी खसरा नं0 114 रकबा 4.31 है0 भूमि बृजमोहन पुत्र रामप्रताप जाति मीना सा0 देह के खाते दर्ज है इस प्रकार गत के मुकाबले 0.41 है0 भूमि की कमी पाई मुताबिक नक्शे को [illegible]

न कमी की है। समीपवर्ती साबिक खसरा न0 123 रकबा 30 बाधा 10 बिस्वा के नवीन खसरा
रकबा 3.31 है0 व खसरा नं0 113/441 रकबा 1.66 है0 दर्ज कर कमशः 0.06, 0.03 कुल 0.09
बेशी, साबिक खसरा नम्बर 124 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 150 रकबा 1.18 है0
दर्ज कर 0.09 है0 बेशी, इसी प्रकार साबिक खसरा नं0 खसरा नं0 128 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व 129
रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 112 रकबा 2.60 है0 दर्ज कर 0.33 है0 बेशी कर दिया है
अतः नवीन खसरा नं0 113 रकबा 3.31 है0 में से 0.06, खसरा नं0 113/441 में से 0.03 है0 खसरा नम्बर
150 रकबा 1.18 है0 में से 0.09 है0 तथा 112 रकबा 2.60 है0 में से 0.23 है0 रकबा कम करके ही खसरा
नं0 114 का रकबा पूर्वानुसार 4.72 है0 दर्ज किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रकसपुरिया की आराजी खसरा नं0 113 रकबा 3.31 है0 मे से रकबा
0.06 है0 कम कर व खसरा नं0 113/441 में से 0.03 है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.18 है0 में से 0.09
है0 तथा 112 रकबा 2.60 है0 में से 0.23 है0 रकबा कम दर्ज कर खसरा नं0 114 रकबा 4.31 है0 में
सेटलमेंट के दौरान हुयी कमी रकबा 0.41 है0 की पूर्ति की जाकर ग्राम रकसपुरिया की आराजी खसरा नं0
114 का रकबा 4.72 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं तदनुसार तहसीलदार मांगरोल का
राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुना